कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार

अक्तूबर, 1985 के पूर्व खेल–कूद, युवा कल्याण, कला–संस्कृति एवं पुरातत्व/संग्रहालय आदि विषय शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आते थे। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार के संकल्प संख्या– 1984, दिनांक 19 अक्तूबर, 1985 के द्वारा, युवा कार्यक्रम एवं खेल–कूद तथा धरोहर के महत्व को देखते हुए, राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र 'युवा कार्यक्रम, खेल एवं संस्कृति विभाग' का गठन किया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या– 2870, दिनांक 04 दिसम्बर, 1991 के द्वारा, पुनः इसका विलय नव–गठित मानव संसाधन विकास विभाग के साथ किया गया।

राज्य में खेल–कूद, कला, संस्कृति, पुरातत्व एवं संग्रहालय प्रक्षेत्र के सम्यक् विकास एवं विस्तार के लिए मानव संसाधन विकास विभाग के द्वारा निर्गत आदेश संख्या– 1009, दिनांक 18.09.1993 के फलस्वरूप मानव संसाधन विकास विभाग से पृथक ''कला, संस्कृति एवं युवा विभाग'' के रूप में एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की गयी।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, राज्य सरकार का एक अतिमहत्वपूर्ण बहु–उद्देशीय विभाग है, जो एक तरफ खेल–कूद को प्रोत्साहन देकर, युवा वर्ग को स्वावलम्बी, स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन की ओर अग्रसर करता है, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए कला एवं संस्कृति की गतिविधियों के माध्यम से उनमें सकारात्मक संस्कार का निर्माण करता है। वहीं पुरातात्विक अन्वेषण, उत्खनन, शोध, प्रकाशन एवं अन्य गतिविधियों तथा संग्रहालयों में पुरावशेष एवं प्राचीन कलाकृतियों के संरक्षण, सुरक्षण, अभिलेखीकरण, सुरुचिपूर्ण प्रदर्शन एवं ऐतिहासिक शोध तथा प्रकाशन के गुरुतम दायित्व का निर्वाह भी करता है।

इस विभाग का प्रशासनिक ढाँचा निम्नलिखित रूपसे गठित है :

1. **माननीय विभागीय मंत्री;**
2. **प्रधान सचिव/सचिव;**
3. **संयुक्त सचिव;**
4. **उप–सचिव – (रिक्त);**
5. **अवर सचिव।**

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार के अन्तर्गत 4 (चार) निदेशालय कार्यरत हैं। सम्बन्धित निदेशालय के प्रभारी निदेशक स्तर के पदाधिकारी होते हैं, जो इसप्रकार है :

1. **निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय;**
2. **निदेशक, संग्रहालय निदेशालय – (रिक्त);**
3. **निदेशक, पुरातत्व निदेशालय – (रिक्त);**
4. **निदेशक, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय – (रिक्त)।**

संग्रहालय निदेशालय में क्षेत्रीय उप–निदेशक (संग्रहालय)**;** छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय में उप–निदेशक (युवा कल्याण)**;** उप–निदेशक (क्रीड़ा)**;** सहायक निदेशक (युवा कल्याण) एवं सहायक निदेशक (एन.एस.एस.)**;** पुरातत्व निदेशालय के अन्तर्गत अन्वेषण एवं उत्खनन पदाधिकारी, संरक्षण पदाधिकारी एवं सहायक निदेशक (संरक्षण) तथा सांस्कृतिक कार्य निदेशालय में सहायक निदेशक के पद भी सृजित हैं।

इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय/प्रमंडलीय/जिलास्तरीय निम्नलिखित पद स्वीकृत हैं :

1. उप–निदेशक, शारीरिक शिक्षा– मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर**;**
2. प्रमंडलीय अधीक्षक, शारीरिक शिक्षा– सारण, गया, सहरसा एवं दरभंगा**;**
3. सहायक निदेशक (क्रीड़ा), गैर–जनजाति क्षेत्र, बिहार, पटना;
4. अपर निदेशक, पटना संग्रहालय, पटना**;**
5. संग्रहालयाध्यक्ष (वर्ग–1), पटना संग्रहालय, पटना**;**
6. संग्रहालयाध्यक्ष/सहायक संग्रहालयाध्यक्ष–सह–मार्गदर्शक व्याख्याता (मूलकोटि वर्ग–2)**;**
7. जिला खेल पदाधिकारी**;**
8. जिला अधीक्षक, शारीरिक शिक्षा**;**
9. प्रबन्धक, मोईनुल हक स्टेडिय, पटना**;**
10. उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, राजकीय महाविद्यालय **;**
11. प्राचार्य, राजकीय स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग में कार्यों का सम्पादन प्रशाखावार निम्नप्रकार से किया जाता है :–

<u>प्रशाखा</u> – I

मुख्यालय एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों/कर्मचारियों के स्थापना सम्बन्धी कार्य, बजट सम्बन्धी कार्य, स्टेशनरी, दूरभाष, वाहन, योजना एवं गैर–योजना बजट से सम्बन्धित कार्य।

<u>प्रशाखा</u> – II

<u>सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, बिहार</u> :

1. सांस्कृतिक वातावरण निर्माण कार्यक्रम (शुक्र गुलजार, शनिबहार कार्यक्रम, जिला स्थापना दिवस, अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान–प्रदान/महोत्सव/उत्सव का आयोजन/सहभागिता सहित)।
2. स्वतंत्रता/गणतंत्र दिवस समारोह (झाँकी)।
3. उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सांस्कृतिक कार्यक्रम।
4. चाक्षुष एवं प्रदर्श कला के क्षेत्र में अकादमी पुरस्कार।
5. कलाकार कल्याण कोष।
6. चाक्षुस एवं प्रदर्श कला से सम्बन्धित डॉक्यूमेन्टेशन एवं प्रकाशन।
7. भारतीय नृत्य कला मंदिर को महाविद्यालय के रूप में विकसित करने हेतु अनुदान।
8. सांस्कृतिक संरचना/ऑडिटोरियम का निर्माण, जीर्णोद्धार, संरक्षण एवं विकास।

<u>प्रशाखा</u> – III

<u>खेल–कूद एवं युवा सेवाएँ</u> :

1. खेल सम्मान एवं प्रोत्साहन**;**
2. अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य–स्तरीय टूर्नामेन्ट का आयोजन**;**
3. अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य–स्तरीय टूर्नामेन्ट में सहभागिता**;**
4. पंचायत युवा, क्रीड़ा खेल अभियान ''पाईका''**;**
5. क्वीन्स वैटनरिले**;**
6. खेल–कूद प्रशिक्षण**;**
7. खेल एवं जिम उपकरण**;**

8. पूर्व निर्मित स्टेडियमों एवं फिजिकल कॉलेज का अनुरक्षण, रख–रखाव आदि;
9. खिलाड़ी कल्याण कोष;
10. राष्ट्रीय सेवा योजना–राज्यांश;
11. स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, कंकड़बाग, पटना का निर्माण;
12. मुख्य मंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत स्टेडियम निर्माण;

प्रशाखा – IV

संग्रहालय निदेशालय, बिहार :

1. संग्रहालयों की सुरक्षा एवं अनुरक्षण;
2. संग्रहालयों के पुरावशेष/कलाकृतियों का डिजिटल डॉक्यूमेन्टेशन एवं विकास;
3. प्रकाशन;
4. गैर–सरकारी संग्रहालयों को अनुदान।

प्रशाखा – V

पुरातत्व निदेशालय, बिहार :

1. पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण, अनुरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण तथा थिमेटिक/प्री–हिस्टोरिक पार्क निर्माण;
2. बिहार विरासत विकास समिति को सहायक अनुदान;
3. प्रकाशन।

विभाग के अन्तर्गत निदेशालयवार बजट का प्रावधान निम्नलिखित रूप से किया गया है :

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	योजना बजट	गैर–योजना बजट	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1. छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय, बिहार				
1 (क)	2008-09	3,60,78,123	21,20,47,837	वित्तीय वर्ष 2010–11 योजना बजट **व्यय– 2322.07 लाख रू0** **शेष– 1390.93 लाख रू0** गैर–योजना **शेष– 2.33 लाख रू0**
1 (ख)	2009-10	28,29,00,000	21,96,18,000	
1 (ग)	2010-11	37,13,00,000	25,19,36,000	
2. पुरातत्व निदेशालय, बिहार				
2 (क)	2008-09	12,50,000	66,02,535	वित्तीय वर्ष 2010–11 योजना बजट **व्यय– 25.40 लाख रू0** **शेष– 284.60 लाख रू0** गैर–योजना **शेष– 35.50 लाख रू0**
2 (ख)	2009-10	50,00,000	1,34,68,000	
2 (ग)	2010-11	3,10,00,000	1,32,03,000	
3. संग्रहालय निदेशालय, बिहार				
3 (क)	2008-09	1,07,26,944	3,71,17,317	वित्तीय वर्ष 2010–11 योजना बजट **व्यय– 24.83 लाख रू0** **शेष– 245.36 लाख रू0** गैर–योजना **शेष– 540.34 लाख रू0**
3 (ख)	2009-10	1,00,00,000	5,89,91,000	
3 (ग)	2010-11	2,70,19,000	6,37,44,000	
4. सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, बिहार				
4 (क)	2008-09	19,72,369	2,09,62,974	वित्तीय वर्ष 2010–11 योजना बजट **व्यय– 390.44 लाख रू0** **शेष– 882.56 लाख रू0** गैर–योजना **शेष– 26.51 लाख रू0**
4 (ख)	2009-10	2,70,00,000	99,39,000	
4 (ग)	2010-11	12,73,00,000	44,60,000	

संग्रहालय निदेशालय, बिहार

राज्य में संग्रहालयों के गुणात्मक विकास और उनपर प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण के लिए मार्च, 1987 में पुरातत्व एवं संग्रहालय निदेशालय को पुनर्गठित कर, पृथक संग्रहालय निदेशालय की स्थापना की गयी। निदेशक, संग्रहालय विभागाध्यक्ष स्तर के पदाधिकारी हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों/संग्रहालय का निरीक्षण एवं तकनीकी कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु पटना में एक क्षेत्रीय उप–निदेशक, संग्रहालय का कार्यालय कार्यरत है। सम्प्रति अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त पटना संग्रहालय सहित विभाग के नियंत्रणाधीन निम्नलिखित 19 संग्रहालय संचालित हैं :

1. पटना संग्रहालय, पटना;
2. चन्द्रधारी संग्रहालय, दरभंगा;
3. महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय, दरभंगा;
4. मिथिला ललित संग्रहालय, सौराठ, मधुबनी;
5. रामचन्द्रशाही संग्रहालय, मुजफ्फरपुर;
6. बेतिया संग्रहालय, बेतिया;
7. चन्द्रशेखर सिंह संग्रहालय, जमुई;
8. लखीसराय संग्रहालय, लखीसराय ;
9. गया संग्रहालय, गया;
10. नारदः संग्रहालय, नवादा;
11. छपरा संग्रहालय, छपरा;
12. दीपनारायण सिंह संग्रहालय, हाजीपुर;
13. बिहारशरीफ संग्रहालय, बिहारशरीफ;

14. भागलपुर संग्रहालय, भागलपुर;

15. सीताराम उपाध्याय संग्रहालय, बक्सर;

16. बेगूसराय संग्रहालय, बेगूसराय ;

17. जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय, पटना;

18. गाँधी स्मारक संग्रहालय, भितिहरवा, पश्चिम चम्पारण;

19. बाबू कुँवर सिंह स्मृति संग्रहालय, जगदीशपुर।

इसके साथ ही सूरजनारायण सिंह स्मृति संग्रहालय एवं ब्रजबिहारी स्मृति संग्रहालय, पटना का भी विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है।

संग्रहालय निदेशालय, बिहार के नियंत्रणाधीन संग्रहालयों का कार्यक्षेत्र निम्नांकित हैं :

1. पुरावशेषों/कलाकृतियों का संकलन एवं डॉक्यूमेन्टेशन;

2. पुरावशेषों/कलाकृतियों का संरक्षण;

3. पुरावशेषों/कलाकृतियों की सुरक्षा;

4. दीर्घाओं का निर्माण एवं डिस्प्ले;

5. सांस्कृतिक संपदा की सुरक्षा के प्रति जागरुकता कार्यक्रम;

6. पुरावशेषों/कलाकृतियों से सम्बन्धित प्रकाशन;

7. संग्रहालय के संकलन पर शोध एवं अनुसंधान कार्य आदि।

वर्तमान वित्तीय वर्ष (2010–11) में संग्रहालय निदेशालय के द्वारा उच्च–प्राथमिकता की निम्नलिखित कार्य योजनाएँ सम्पन्न की जानी है :

(क) <u>अत्याधुनिक संग्रहालय का निर्माण</u> :

भारतीय सभ्यता के विकास, इतिहास, संस्कृति दर्शन एवं कला की विरासत को भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित, संरक्षित एवं उचित संदर्भ में

प्रदर्शित करने एवं भारतीय उप–महाद्वीप के इतिहास के निर्माण में बिहार की भूमिका को रेखांकित करने के उद्देश्य से पटना में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय के निर्माण की सैद्धान्तिक स्वीकृति, मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 26.11.2009 को प्रदान की गयी है। इस संग्रहालय के लिए जवाहर लाल नेहरू पथ (बेलीरोड) के दक्षिणी भाग में अवस्थित आवास संख्या– 02 से 07 तक की भूमि के उपयोग की योजना है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय मानकों के अनुरूप विकसित इस संग्रहालय को हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाना है। उक्त संग्रहालय के निर्माण की योजना का कार्यान्वयन; कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की देख–रेख में भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है।

पटना में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रस्तावित संग्रहालय की स्थापना एवं निर्माण के प्रसंग में दिनांक 19.01.2010 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में आहूत बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा अभिव्यक्ति की अभिरुचि–सह–प्रस्ताव हेतु अनुरोध (EOI-cum-RFP) के माध्यम से 'मास्टर प्लान कन्सल्टेन्ट' का चयन विषयक संलेख–प्रारूप मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन हेतु तैयार कर लिया गया है। मंत्रिमंडल के गठन के पश्चात नवागत माननीय विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन हेतु संलेख भेजा जायेगा।

(ख) <u>बुद्ध स्मृति पार्क परिसर में नये संग्रहालय का विकास</u> :

पुराने बाँकीपुर जेल परिसर को राज्य सरकार द्वारा बुद्ध स्मृति पार्क के रूप में विकसित किया गया है। जिसका उद्घाटन परम पावन दलाई लामा के कर–कमलों से बुद्ध पूर्णिमा 27 मई, 2010 को किया गया। इस परिसर में भव्य अवशेष–स्तूप, ध्यान केन्द्र (मेडिटेशन सेन्टर) का निर्माण किया जा

चुका है, इसके साथ ही बुद्ध पर केन्द्रित एक थीम म्यूजियम का विकास भी किया जाना है।

''बुद्ध विहार संग्रहालय'' नाम से परिसर में निर्मित संग्रहालय–भवन में बुद्ध विषयक थीम म्यूजियम के विकास का कार्य कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा किया जाना है। प्रदर्शों के चयन, गैलरी ले–आउट, लाईटिंग, मल्टीमीडिया का उपयोग सहित संग्रहालय विकास के विभिन्न बिन्दुओं पर तकनीकी परामर्श के लिए कन्सल्टेन्ट के चयन हेतु अवधारणा–प्रारूप एवं एक्सप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट के प्रारूप पर बुद्ध स्मृति पार्क के संचालन हेतु प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग की अध्यक्षता में गठित कार्य–कारिणी समिति की सहमति प्राप्त कर ली गयी है। बिहार विधान सभा की चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने पर, कन्सल्टेन्ट के चयन हेतु एक्सप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट का प्रकाशन समाचार–पत्रों के माध्यम से किया जायेगा।

(ग) <u>वैशाली में बुद्ध सम्यक् दर्शन संग्रहालय का विकास</u> :

वैशाली उत्खनन से प्राप्त बुद्ध के पवित्र अस्थि–अवशेष, जो सम्प्रति पटना संग्रहालय में प्रदर्शित है, को वैशाली में एक नये संग्रहालय–भवन का निर्माण कर, प्रदर्शित किया जायेगा। बुद्ध सम्यक् दर्शन संग्रहालय नाम से इस संग्रहालय की स्थापना सम्बन्धी अधिसूचना जारी की जा चुकी है। नये संग्रहालय–भवन के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु विभाग द्वारा 33.00 लाख रूपये जिला पदाधिकारी, वैशाली को उपलब्ध कराये गये हैं। भूमि अधिग्रहण के पश्चात संग्रहालय–भवन के निर्माण के लिए संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार से अनुदान हेतु प्रस्ताव तैयार कर, भेजा जायेगा।

(घ) <u>पटना संग्रहालय का विकास</u> :

पटना संग्रहालय की दीर्घाओं के पुनर्संयोजन, एक्जिबीशन डिजाईन, स्वागत–पटल एवं सूचना केन्द्र, दर्शकों के लिए सूचनात्मक साईनेज, प्रकाश व्यवस्था, शोकेस एवं पेडेस्टल की डिजाईन आदि कार्यों के लिए चयनित परामर्शी के तकनीकी परामर्श एवं तत्सम्बन्धी प्राक्कलन के आलोक में संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करने की दिशा में कार्रवाई की जायेगी। इसी परियोजना के अन्तर्गत पुरावशेषों/कलाकृतियों के संरक्षण एव पुनरुद्धार के लिए पटना संग्रहालय में एक केन्द्रीयकृत संरक्षण प्रयोगशाला की स्थापना भी की जानी है।

(ङ) <u>चन्द्रधारी, संग्रहालय, दरभंगा एवं गया संग्रहालय, गया का विकास</u> :

चन्द्रधारी, संग्रहालय, दरभंगा एवं गया संग्रहालय, गया की दीर्घाओं के पुनर्संयोजन, एक्जिबीशन डिजाईन, स्वागत–पटल एवं सूचना केन्द्र, दर्शकों के लिए सूचनात्मक साईनेज, प्रकाश व्यवस्था, शोकेस एवं पेडेस्टल की डिजाईन आदि कार्यों के लिए परामर्शी के चयन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। चयनित परामर्शी द्वारा समर्पित तकनीकी परामर्श एवं तत्सम्बन्धी प्राक्कलन के आलोक में संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करने की दिशा में कार्रवाई की जायेगी।

(च) <u>राज्य के अन्य संग्रहालयों का विकास</u> :–

विभाग के नियंत्रणाधीन शेष 18 संग्रहालयों में की आधारभूत संरचना, प्रदर्शन, शोध एवं प्रकाशन आदि की कार्ययोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर किये जाने की योजना है।

सांस्कृतिक कार्य निदेशालय :

सांस्कृतिक कार्य निदेशालय का गठन, राज्य में सांस्कृतिक संरक्षण एवं सम्वर्द्धन के उद्देश्य से स्वतंत्र रूप में वर्ष 1986 ई० में हुआ। तद्नुसार सांस्कृतिक कार्य निदेशालय कला एवं संस्कृति के विकास में अपने न्यूनतम बजट उपबन्ध में भी निरन्तर प्रयासरत है और संस्कृति के संरक्षण हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से राज्य में सांस्कृतिक विकास की कार्रवाई कर रहा है।

सांस्कृतिक कार्य निदेशालय के अन्तर्गत निदेशक (सांस्कृतिक कार्य) के अतिरिक्त सहायक निदेशक स्तर के दो पद मात्र मुख्यालय में हैं। तत्काल मुख्यालय के पद के अतिरिक्त अन्य कोई पद सृजित नहीं है। ये सभी पद बिहार शिक्षा–सेवा के अन्तर्गत हैं, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, राज्य में कला एवं संस्कृति के विकास के लिए अपने अधीन कार्यरत बिहार संगीत नाटक अकादमी (प्रदर्शन कला के लिए) तथा बिहार ललित कला अकादमी (चाक्षुष कला के लिए) के साथ निरन्तर प्रयत्नशील है। सांस्कृतिक गतिविधियों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। इस दिशा में पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद, भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्, नई दिल्ली तथा केन्द्रीय संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली से अपेक्षित सहयोग प्राप्त हो रहा है।

1. **सांस्कृतिक वातावरण निर्माण कार्यक्रम : (शुक्रगुलजार, शनिबहार कार्यक्रम, जिला स्थापना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान–प्रदान, महोत्सवों/उत्सवों का आयोजन/सहभागिता सहित) :–**

राज्य में सांस्कृतिक वातावरण के निर्माण हेतु कला–संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा शुक्र–गुलजार और शनिबहार का आयोजन प्रत्येक माह के सभी शुक्रवार और शनिवार को किया जाता है। इस कार्यक्रम में राज्य के स्थापित कलाकारों को शुक्र–गुलजार के अंतर्गत मंच प्रदान किया जाता है, तथा युवा–प्रतिभावान कलाकारों को जो राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किये गये हों, उन्हें शनि–बहार के अंतर्गत मंच प्रदान किये जाते हैं। कलाकारों को मानदेय स्वरूप सम्मानजनक राशि भी प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत (ई, जेड. सी. सी., एन. जेड. सी. सी.) पूर्वांचल क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र कोलकाता तथा उत्तर मध्य–क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र हैं। इसके अलावा वैशाली महोत्सव, केसरिया महोत्सव, राजगीर महोत्सव, बौद्ध–महोत्सव, राष्ट्रीय युवा–उत्सव आदि आयोजनों में विभाग की ओर से कलाकारों की सहभागिता रहती है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में 400.00 लाख का उदव्यय है, जिसमें से 214.79 लाख रुपया का आवंटन दिया जा चुका है और शेष 185.21 लाख रुपये बचा है। मार्च, 2011 तक खर्च हो जायेगा।

1. **स्वतंत्रता/गणतंत्र दिवस समारोह (झाँकी) :**

प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी तथा 15 अगस्त के अवसर पर कला–संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा झाँकी निर्माण की परम्परा है। झाँकी किसी–न–किसी विषय से सम्बन्धित थीम पर आधारित होती है। जिसमें राज्य के कलाकारों की भागीदारी होती है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में 3.00 लाख का उदव्यय है, जिसमें से 1.40 का आवंटन दिया जा चुका है और शेष 1.60 लाख रुपये बचा है। जनवरी, 2011 में खर्च किया जायेगा।

2. **उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सांस्कृतिक कार्यक्रम :**

राज्य के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में वातावरण निर्माण के उद्देश्य से कला–संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। नाटक, लोकगीत, लोकनृत्य आदि की प्रस्तुति प्रभावित क्षेत्रों में की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में 20.00 लाख का उदव्यय है, जिसमें से 20.00 लाख का आवंटन दे दिया गया है। शेष आवंटन शून्य है।

3. चाक्षुष एवं प्रदर्श कला के क्षेत्र में अकादमी पुरस्कार :

प्रदर्श एवं चाक्षुष कला के क्षेत्र में अकादमी पुरस्कार उन कलाकारों को दिया जाता है, जो कला के क्षेत्र में राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुके होते हैं। प्रत्येक वर्ष एक कमिटि का गठन कर कलाकारों को चिह्नित कर चयनोपरांत यह पुरस्कार दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में 5.00 लाख का उदव्यय है। मार्च, 2011 तक खर्च हो जायेगा।

4. **कलाकार कल्याण कोष :**

कलाकार कल्याण कोष से उन कलाकारों को यथासंभव राशि प्रदान की जाती है जो कलाकार बीमारी से ग्रसित हों तथा उनके पास इलाज का पर्याप्त अभाव हो और आर्थिक रूप से विपन्न हों। इसके लिए कमिटि बनाकर कलाकारों के आवेदन पर विचारोपरांत निर्णय लेकर समुचित राशि प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में 10.00 लाख का उदव्यय है, जिसमें से 45 हजार का आवंटन दिया जा चुका है। शेष 9.55 लाख रुपये शेष हैं। मार्च, 2011 तक कमिटी गठित कर कलाकारों को चयनित कर भुगतान किया जायेगा।

5. **चाक्षुष एवं प्रदर्श कला से सम्बन्धित डॉक्यूमेंटेशन एवं प्रकाशन :**

प्रदर्श एवं चाक्षुष कला के क्षेत्र में डॉक्यूमेंटेशन एवं प्रकाशन से सम्बन्धी कार्य किये जा रहे हैं। कला–संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से प्रति माह ''पटना–कलम'' का प्रकाशन किया जा रहा है। साथ ही शुक्र–गुलजार, शनि–बहार कार्यक्रम का नियमित डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में 25.00 लाख का उदव्यय है, जिसमें से 4.87 लाख का आवंटन दिया गया है। शेष 20.13 लाख रुपये शेष है। मार्च, 2011 तक खर्च हो जायेगा।

इसके अतिरिक्त बिहार संगीत नाटक अकादमी एवं बिहार ललित कला अकादमी के माध्यम से भी डॉक्यूमेंटेशन एवं प्रकाशन का कार्य किया गया है।

6. **<u>भारतीय नृत्य कला मंदिर को महाविद्यालय के रूप में विकसित करने हेतु अनुदान</u>**

भारतीय नृत्य कला मंदिर, पटना में शास्त्रीय नृत्य एवं संगीत की शिक्षा दी जाती है। इसके परीक्षा का संचालन प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद द्वारा किया जाता है। इस कला मंदिर को महाविद्यालय के रूप में विकसित करने के उक्त मगध विश्वविद्यालय बोधगया द्वारा मान्यता दी गयी है। किन्तु महाविद्यालय के रूप में अध्यापन एवं आधारभूत संरचना के विकास का कार्य किया जाना है। अभी तत्काल आधारभूत संरचना के विकास सम्बन्धी कार्य किये जाने का प्रस्ताव है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में 10.00 लाख का उदव्यय है। भारतीय नृत्य कला मंदिर से आधारभूत संरचना के विकास संबंधी प्रस्ताव अप्राप्त है।

7. **<u>सांस्कृतिक संरचना/ऑडिटोरियम का निर्माण, जीर्णोद्वार संरक्षण एवं विकास</u>**

इस योजना के अंतर्गत राजधानी पटना, स्थित आउडिटोरियम, यथा–भारतीय नृत्य कला मंदिर, प्रेमचन्द रंगशाला आदि को सुविधा संपन्न करने एवं अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करने के उद्देश्य से कार्य करवाने का प्रस्ताव है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में 800.00 लाख का उदव्यय है, जिसमें से 390.44 लाख का आवंटन दिया जा चुका है एवं शेष 651.07 लाख रुपये शेष है। मार्च, 2011 तक खर्च किया जायेगा।

पुरातत्व निदेशालय, बिहार

पुरातत्व एवं संग्रहालय निदेशालय, बिहार, पटना का गठन वर्ष 1961 ई0 में हुआ था। कालन्तर में वर्ष 1987 ई0 में पुरातत्व निदेशालय का स्वतंत्र गठन हुआ। इस निदेशालय का मुख्य उद्देश्य एवं कार्य इस प्रकार है :–

1. बिहार राज्य के अन्दर पुरातात्विक महत्व के अवशेषों/स्मारकों के विकास के सन्दर्भ में राज्य सरकार को परामर्श देना।
2. **ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के स्थलों/स्मारकों का अन्वेषण एवं सर्वेक्षण कार्य करना।**
3. राज्य के अन्दर चयनित एवं महत्वपूर्ण प्राचीन स्मारकों का संरक्षण, संवर्द्धन एवं विकास का कार्य करना।
4. दूसरे विभागों से समन्वय स्थापित कर एवं साथ मिलकर, प्राचीन स्मारकों एवं पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्थलों तक पहूँच–पथ निर्माण, पेयजल एवं बिजली की सुविधा तथा आवासीय सुविधा, बागवानी, पार्क आदि की व्यवस्था करना।
5. **बिहार राज्य के अन्तर्गत महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों पर उत्खनन कार्य कराना एवं उत्खनन से प्राप्त पुरा सामग्रियों का सूचीकरण करना एवं उत्खनन प्रतिवेदन प्रकाशित करना।**
6. पुरातत्व एवं विरासत से संबंधित लेख/पुस्तक आदि को प्रकाशित करना।

पुरातत्व निदेशालय			
वर्ष 2011–12 में ली जानेवाली वार्षिक योजना		**कुल राशि– 200 लाख रूपये**	
1.	जलालगढ़ किला पूर्णिया	(i)	जमीन के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव विभाग से भेजा जाना है।
		(ii)	सौन्दर्यीकरण (जिला पदाधिकारी पूर्णिया से प्राक्कलन प्राप्त है, कुल राशि 1.39 करोड़ रूपये लगभग) तत्काल प्रशासनिक स्वीकृति देनी है।
2.	तेल्हाड़ा उत्खनन स्थल, जिला– नालन्दा	(i)	स्थल का घेराबन्दी, जिला पदाधिकारी, नालन्दा से प्राक्कलन प्राप्त है। कुल राशि– 34.00 लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति देनी है।
3.	चिरांद, जिला– सारण	चिरांद में प्रागैतिहासिक पार्क के निर्माण हेतु जमीन का अधिग्रहण हेतु राशि जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) को उपलब्ध करा दी गई है। कुल राशि– 26.00 लाख रूपये लगभग।	
4.	प्रकाशन	कुल राशि– 10.00 लाख रूपये	
		(i)	तेल्हाड़ा उत्खनन प्रारंभिक प्रतिवेदन अनुमानित 2.00 लाख रूपये प्रारंभिक प्रतिवेदन तैयार है।
		(ii)	मॉन्यूमेन्ट ऑफ बिहार :

			कुल राशि –
		(iii)	कुल 30 सुरक्षित पुरातात्विक स्थल का ब्रोशर का प्रकाशन– 1.00 लाख रूपये। ब्रोशर तैयार किया जा रहा है।
5.	सेमिनार	"Recent Excavations in Eastern India" मार्च माह में दो दिवसीय सेमिनार कराने की योजना कुल लागत– 2.00 लाख रूपये के करीब। (यह योजना है)।	
6.	तेल्हाड़ा नालन्दा	तेल्हाड़ा में उत्खनन का कार्य दिसम्बर, के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ किया जायेगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली से अनुज्ञप्ति प्राप्त हैं अनुमानित राशि 10.00 लाख रूपये। यह कार्य अप्रैल, 2011 तक चलेगा। आवश्यकतानुसार इसे बढ़ाया जा सकता है।	
7.	13वें वित्त आयोग से ली जानेवाली राशि से कार्य योजना संलग्न।		
8.	बिहार विरासत विकास योजना– कुल 1.00 करोड़ रूपये की होगी।		
9.	सुरक्षित स्थल पर सोलर लाईट की योजना– 50.00 लाख रूपये		
10.	मीरा बिघा पुरातात्विक स्थल एवं ताराडीह बोधगया के चहारदीवारी के मरम्मती– 12.00 लाख रूपये (मीराबीघा की चहारदीवारी का कार्य किया जा चुकाक है, परन्तु कुछ जगहों पर चहारदीवारी टूट गयी है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से इसका तुरत मरम्मती करना है)		

छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय

छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय मुख्य रूपसे युवा गतिविधियों से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन करता है।

विगत वर्षों का योजनावार प्रगति प्रतिवेदन एवं भविष्य की कार्य–योजना

1. **खेल सम्मान एवं प्रोत्साहन**

राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित, प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करने के लिए वार्षिक रूपसे यह योजना चलाई जाती है। वर्ष 2011 में 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उपलब्धि प्राप्त कर, राज्य को गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ियों को खेल सम्मान समारोह के आयोजन द्वारा सम्मानित/पुरस्कृत किया गया।

2010–11 में कर्णांकित राशि 20.00 लाख रूपये/अवशेष राशि– शून्य।

2. **अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्यस्तरीय टूर्नामेन्ट का आयोजन :–**

राज्य में खेल प्रतिस्पर्द्धा विकसित करने तथा खेल–कौशल प्रदर्शन के माध्यम से प्रशिक्षण अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना का संचालन वार्षिक रूप से किया जाता है। प्रतियोगिताओं के आयोजन

हेतु राज्य के मान्यता प्राप्त खेल संघों को अनुदान उपलब्ध करना इसका लक्ष्य है।

इस योजना के माध्यम से बिहार में अनेक राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया गया है, यथा– राष्ट्रीय बैडमिन्टन, टेबुल टेनिस, कबड्डी, बॉक्सिंग, निःशक्त खेल प्रतियोगिताएँ आदि।

2010–11 में कर्णांकित राशि 90.00 लाख रूपये/शेष राशि– 73.41लाख रू0

<u>कार्य योजना</u>

विभागीय मार्ग दर्शिका में इस वर्ष आंशिक संशोधन किये गये हैं । संशोधित मार्गदर्शन सिद्धान्त के आधार पर समाचार–पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराकर, आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। प्राप्त प्रस्ताव पर अनुदान समिति निर्णय लेगी।

3. **अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्यस्तरीय टूर्नामेन्ट में सहभागिता**

राज्य के वैसे खिलाड़ी, जो आर्थिक तंगी के कारण राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में तथा खेल संघ, जो राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं; उन खिलाड़ियों एवं संघों को अनुदान देकर, अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/ राज्यस्तरीय टूर्नामेन्ट में सहभागिता के लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग करना, इस योजना का धेय है।

2010–11 में कर्णांकित राशि 15.00 लाख रूपये/शेष राशि–15.00 लाख रू0

<u>कार्य योजना</u>

संशोधित मार्ग दर्शिका के आधार पर अनुदान हेतु समाचार–पत्रों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। प्राप्त आवेदन पर अनुदान समिति निर्णय लेगी।

4. **पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान (पाईका)**

वित्तीय वर्ष 2008–09 से प्रारंभ यह योजना भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में खेलों को प्रोत्साहित एवं उनकी पहुँच उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण खेल प्रतिभा खोज करना है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में इस योजना के माध्यम से राज्य में प्रखंड स्तर से राज्य स्तर तक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के माध्यम से, विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है।

2010–11 में कर्णांकित राशि 278.00 लाख रूपये/शेष राशि–278.00 लाख रू0

<u>कार्य योजना</u>

भारत सरकार से राशि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को प्राप्त है।

बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के माध्यम से प्रतियोगिता का संचालन, अनुश्रवण, किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए केन्द्रांश की राशि हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जायेगा।

(5) **क्वींस बैटन रिले** :

दिल्ली में इस वर्ष आयोजित कॉमन बेल्थ गेम से संबंधित रिले बैटन बिहार से भी गुजड़ा था। राज्य के छः जिला :– कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास, गया, जहानाबाद एवं पटना जो इसका कट मार्ग था में अन्य तरीके से क्वींस बैटन का स्वागत एवं विविध कार्यक्रम आयोजित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में कर्णाकिंत राशि–75.00 शेष राशि– 40.55 लाख रूपये।

कार्य योजना

गत योजना मात्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर युवा आवास के जीर्णोद्धार विषयक भुगतान पर कारवाई करनी है। जिसमें राशि की आवश्यकता है।

(6) खेल–कूद प्रशिक्षण

विभिन्न खेल विधा में राज्य के प्रतिभावन खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए यह योजना चलायी जा रही है। राज्य में चार आवासीय तथा 26 (छब्बीस) गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं। यह योजना वर्ष 2009 से प्रारंभ है। यह एक दीर्घकालिक योजना है।

2010–11 में कर्णांकित राशि 100.00 लाख रूपये/शेष राशि– 100.00 लाख रू0।

कार्य योजना

1. आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु 2010–11 के लिए वांछित राशि से संबंधित प्रस्ताव एवं 2009–10 की उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर राशि विमुक्त की जानी है।

2. आवासीय/गैर आवासीय केन्द्र की स्थापना की उपयोगिता के आधार पर स्वीकृति दी जायेगी।

(7) खेल एवं जिम उपकरण

वित्तीय वर्ष 2009–10 से शुरू इस योजना के अंतर्गत आधुनिक खेल उपकरण एवं जिम उपकरण उपलब्ध कराकर खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण के अवसर तथा सामान्य लोगों को स्वास्थ्य निर्माण हेतु अवसर प्रदान किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2009–10 में मोईनुलहक स्टेडियम, फिजीकल कॉलेज, सचिवालय स्पोटर्स क्लब तथा पटना सर्किट हाउस में जिम स्थापित कराये गये हैं।

कर्णांकित राशि–150.00 लाख–शेष राशि–150.00 लाख रूपये।

कार्य योजना

चिन्हित अन्य उपकरण क्रय किये जाने हैं एवं आपूर्त्ति प्राप्त उपकरणों का भुगतान करना है।

(8) पूर्व निर्मित स्टेडियमों एवं फिजीकल कॉलेज का अनुरक्षण रख–रखाव आदि

जमुई जिला के गिद्वौर, खगड़िया, दरभंगा, मोईनुलहक स्टेडियम पटना आदि के जीर्णोद्धार कार्य चल रहे हैं। जिस पर राशि खर्च होनी है। राज्य में उपलब्ध खेल आधारभूत संरचना कर रख–रखाव एवं जीर्णोद्धार संबंधी प्राप्त प्रस्तावों पर स्वीकृति देनी है।

कर्णांकित राशि–400.00 लाख–शेष राशि–222.44 लाख रूपये।

कार्य योजना

प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर समीक्षा कर आवश्यकतानुकूल राशि की विमुक्ति।

(9) खिलाड़ी कल्याण कोष

खेल के दौरान घायल खिलाड़ी को चिकित्सा तथा अभावग्रस्त परिस्थितियों से मुक्त कराने हेतु अनुदान दिये जाते हैं।

कर्णांकित राशि– 10.00 लाख शेष राशि–10.00 लाख रूपये।

कार्य योजना

संशोधित मार्गदर्शिका के आधार पर समाचार पत्रों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। प्राप्त आवेदनों पर अनुदान समिति निर्णय लेगी।

(10) राष्ट्रीय सेवा योजना

विश्वविद्यालयों में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से छात्र/छात्राएं सामाजिक सरोकार यथा पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पीड़ित मानवता आदि विषय कार्यों में अपना योगदान देते हैं।

प्रत्येक वर्ष के लिए इसके लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार 7:5 की दर से विश्वविद्यालयों को राशि उपलब्ध कराती है।

कर्णांकित राशि– 75.00 लाख–शेष राशि–75.00 लाख रूपये।

कार्य योजना

एन0 एस0 एस0 की राज्य इकाई से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपयोगिता के आधार पर राशि मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति पश्चात् विमुक्त की जानी है।

(11) स्पोर्ट्स कम्पलेक्स कंकड़बाग, पटना का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय मानक के स्पोर्ट्स कम्पलेक्स का निर्माण भवन निर्माण विभाग के माध्यम से चल रहा है।

कर्णांकित राशि– 300.00 लाख–शेष राशि– शून्य।

कार्रवाई

भवन निर्माण विभाग के साथ समीक्षात्मक बैठक कर कार्य में गति प्रदान करनी है।

(12) मुख्यमंत्री खेल विकास योजना

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008–09 में शुरू किया गया यह एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण योजना है। इसके माध्यम से राज्य में खेल आधारभूत सुविधा/स्टेडियम निर्माण की अब तक 162 (एक सौ बासठ) योजनाओं

की स्वीकृति देते हुए प्रथम किश्त की राशि विमुक्त की गयी है। योजना से राज्य के सभी जिला आच्छादित हो चुका है।

कर्णांकित राशि– 2200.00 लाख–शेष राशि–426.5 लाख रूपये।

<u>कार्य योजना</u>

(i) पूर्व स्वीकृत स्टेडियम के लिए मांग के अनुरूप राशि विमुक्त की जाती है। जो लगातार चल रहा है;

(ii) नये प्रस्ताव प्राप्त होने पर समीक्षा कर स्वीकृति दी जायेगी;

(iii) पूर्व स्वीकृत (निर्माणधीन) स्टेडियम के प्रोगेश का लगातार अनुश्रवण करना है।